प्राचीन मूर्तियों की चोरी

1372. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न स्थानों पर ऐतिहासिक मूर्तियों की चोरी और तस्करी की घटनाओं में बढ़ौतरी होने से भारतीय संस्कृति को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी मूर्तियों की चोरी हुई/कितने व्यक्ति मूर्तियों की तस्करी करते हुए पकड़े गये;

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि भारती पुरातत्व सर्वेक्षण के बहुत सारे कर्मचारी इस प्रकार की चोरियों में शामिल होते हैं या इस प्रकार की चोरियां उनकी सांठ-गांठ से हो रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) देश के विभिन्न स्थानों पर मूर्तियों की चोरी और तस्करी की घटनाओं की सूचनाएं राज्य और केन्द्रीय, दोनों सरकारों की विभिन्न जांच एजेंसियों के ध्यान में लाई गई हैं । राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राजस्व गुप्तचर निदेशालय और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पिछले तीन वर्षों की रिपोर्टों से पता चलता है कि मूर्तियों की चोरी और तस्करी की घटनाओं में कमी आई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ने चोरी के 11 मामले दर्ज किए हैं, कुल 126 मूर्तियों को पुनः प्राप्त किया है तथा 20 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । 20-11-1992 को राजस्व गुप्तचर निदेशालय ने एअर कार्गो काम्पलेक्स, दिल्ली में पुरातत्व संबंधी 18 वस्तुएं पकड़ी थीं और तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए थे ।

(ग) पुरावस्तुओं की चोरियां और तस्करी रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए हैं :—

(i) पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में दिए गए सभी रोधी उपायों तथा उनके अधीन बने नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है ।

(ii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी महत्वपूर्ण स्मारकों को तथा स्थल संग्रहालयों को उनको अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

(iii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक पुरातत्व पक्ष कार्य कर रहा है, जो विशेष रूप से पुरा-वस्तुओं की चोरी एवं हानि के मामलों को देखता है । देश के सभी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर तैनात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी पुरावस्तुओं के अवैध निर्यात को रोकने में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की मदद करते हैं ।

(घ) जी, नहीं । अभी तक ऐसी चोरियों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों के शामिल होने के ऐसे किसी मामले का पता नहीं है अथवा किसी जांच एजेंसी द्वारा सूचना नहीं दी गई है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Legislation to ensure Property Rights of Women

1373. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the Hindustan Times of 10th April, 1993, captioned "Widows face a harrowing time" to the effect that the provisions of law are inadequate to come to the rescue of married women and widows suffering enormous torments at the hands of the in-laws and others; and

(b) if so, whether Government propose to bring forth a comprehensive and effective legislation to ensure and protect due property rights of women, in the property of her husband uniformly applicable to all women, if so, what steps have been taken in this regard and by when such a legislation is likely to be brought before the Parliament ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI) : (a) Yes, Sir.

(b) Government has no proposal to bring forth such legislation. However, the National Commission for Women has constituted a Committee of experts to suggest necessary measures with reference to matrimonial property, domestic violence and related matters.

Pension and Gratuity of Delhi University Teachers

1374. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what is the minimum period of regular service required to be put in by a teacher in Delhi University to become eligible for pension and gratuity;

(b) if the regular service is immediately preceded by some temporary service (without breaks) will that period be also counted for the purpose of 'a' above; and

(c) the details of governing 'a' and 'b' above ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) to (c) According to the provisions of Statute 28-A of the statutes of the University of Delhi, no person shall be eligible for pension unless he has put in a minimum of ten years of qualifying service in the University. In case the qualifying service falls below ten years, gratuity shall be admissible. In addition to such pension/gratuity, an additional Death-cum-Retirement Gratuity shall also be payable on retirement/demise of an employee who has completed five years of qualifying service at the University. The qualifying Service means service rendered by a person in a substantive capacity including periods spent on probation and all service rendered to the University in a full term basis in a temporary or officiating capacity followed without interruption by confirmation in the same or another post shall count as qualifying service except in respect of periods of service paid from 'Contingencies'.